

# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी।

आदेश संख्या: 32/2026 दिनांक: 13.01.2026

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 486/ Admin. (E-I) Section/XC-4/2026 Dated: Allahabad दिनांकित 13.01.2026 में यह दिशानिर्देशित किया गया है कि Notification No. 46/teen-2026 dated 12.01.2026, Government of U.P., Hon'ble Court has been pleased to declare **January 15, 2026 (Thursday) as holiday on account of 'Makar Sankranti' in the District Judiciary of Allahabad High Court and in lieu thereof District Judges are directed to declare any fourth Saturday as Court working day in their respective Judgeship.**

अतएव पूर्व में घोषित मकर संक्रांति के स्थानीय अवकाश दिनांकित 15 जनवरी 2026 को स्थानीय अवकाश की श्रेणी से निरस्त किया जाना एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा घोषित अवकाश को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का अवकाश घोषित किए जाने को प्रभावी मानते हुए, अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में पारित उक्त स्थानीय अवकाश को निरस्त/वापस किया जाता है तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में माह मई 2026 के चतुर्थ शनिवार को कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

तदनुसार इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, बार एसोसिएशन द्वय एवं जिलाधिकारी वाराणसी को दी जाय। इस आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाय।

  
जनपद न्यायाधीश  
वाराणसी।  
13.01.26